न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–178 / 2026
GCMS No.- 2026/189

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री शेर खां पुत्र ऐवज खां, (मालिक) होटल अक्सा सूफी साहब की दरगाह नागौर तहसील व जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी आज स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक :– 15.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैस सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल आज स्वयं उपस्थित है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 19.03.2026 को समय 12.10 पी.एम. बजे श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, हमराह श्री शिवराम चौधरी व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा होटल अक्सा सूफी साहब की दरगाह नागौर तहसील व जिला नागौर पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री शेर खां पुत्र ऐवज खां निवासी मोहम्मदपुरा नागौर उपस्थित मिले, जिन्होनें स्वयं को उक्त होटल का मालिक होना जाहिर किया। मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर गैस भट्टी से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर चाय, कॉफी का निर्माण

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

किया जाना पाया गया। मौके पर तलाशी लेने पर उक्त होटल पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखे पाये गये। इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्तानुसार कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उक्त होटल के मालिक अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। उक्त होटल के मालिक अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 01 घरेलू गैस का भरा हुआ एवं 02 घरेलू गैस के खाली सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	एस.आर.नम्बर	नाम कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)	विशेष विवरण
1	723957-E	BPCL	15.8	15.8	0.0	--
2	564085-S	HPCL	15.6	15.6	0.0	--
3	397295-S	HPCL	23.6	15.6	8.0	--

उपर्युक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को मौके पर ही श्री कमल पुत्र श्री गणपतराम निवासी भाकरोद हाल मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी का बहस में कथन है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। मेरे घर से गैस भरवाने के लिए यह सिलेण्डर मेरी दुकान पर रखे गये थे, जिन्हे बिना वजह जब्त किया गया है इसलिए निवेदन है कि जब्तसुदा सिलेण्डर मुझे पुनः दिलवाये जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल स्वयं के हस्ताक्षर है। जिससे यह प्रकट है कि जब्ती कार्यवाही गैर सायल की उपस्थिति में की गई है एवं उनके द्वारा घरेलू गैस कनेक्शन सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज कार्यवाही के समय पेश नहीं किये हैं एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा बिना व्यावसायिक गैस

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

कनेक्शन के ही घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत प्रकरण में जब्त सुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जावे तथा बाकि सामग्री को नियमानुसार निलाम किया जाकर इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावे। यह राशि राजकीय घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर